अध्याय V

प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सीपीएसईज़ के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसईज़) प्रबंधन के बीच वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व लक्ष्य निर्धारण हेतु आपसी सहमति करार है और इसका आशय इन लक्ष्यों के प्रति सीपीएसईज़ के निष्पादन का मूल्यांकन करना है। इसमें सीपीएसईज़ और सरकार की मंशा, उनके दायित्व और आपसी जिम्मेदारियाँ निहित होती हैं तथा नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं के द्वारा संचालन के बजाए परिणामों तथा लक्ष्यों द्वारा सीपीएसईज़ प्रबंधन के सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित है। सीपीएसईज़ की सहायक कम्पनियों को अपनी धारक कम्पनियों के साथ एमओयूज़ पर हस्ताक्षर करना होता है।

5.2. संस्थागत व्यवस्था

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है और सीपीएसईज़ प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन करने का एक तंत्र प्रदान करता है। यह एक प्रणाली प्रदान करता है जिसके माध्यम से एमओयू लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और वर्ष के अंत में दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन किया जाता है। संस्थागत व्यवस्थाएं एवं उनके अंतर्संबंध इस प्रकार हैं:

- **उच्चाधिकार प्राप्त समिति:** सर्वोच्च स्तर पर, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) अंतिम मूल्यांकन का अनुमोदन करती है जो कि यह स्पष्ट करता है कि दोनों पक्षों द्वारा प्रतिबद्धताओं को कितना पूरा किया गया है।

- **अन्तर-मंत्रालय समिति:** अन्तर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) में अध्यक्ष के रूप में सचिव डीपीई, अन्य सदस्यों के रूप में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव या उनके प्रतिनिधि, सचिव, सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय अथवा इनके प्रतिनिधि, अपर सचिव, नीति आयोग अथवा इनके प्रतिनिधि सम्मिलित है। सचिव, डीपीई किसी ऐसे अधिकारी का भी सहयोग ले सकते हैं जो वित्त विशेषज्ञ हो, यदि ऐसी आवश्यकता महसूस की जाए। आईएमसी की भूमिका वित्तीय वर्ष के आरंभ से पूर्व सीपीएसईज़ के एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण तथा उस वर्ष के समापन के पश्चात एमओयू का निष्पादन मूल्यांकन करने में एमओयू पर एचपीसी तथा डीपीई की सहायता करने की है।
- **डीपीई में एमओयू डिवीजन:** डीपीई में एमओयू डिवीज़न द्वारा एचपीसी एवं आईएमसी की सहायता की जाती है जो एचपीसी एवं आईएमसी के स्थायी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

5.3 निष्पादन मूल्यांकन एवं रेटिंग हेतु एमओयू लक्ष्य

2015-16 के एमओयू में दो भाग थे, वित्तीय लक्ष्य अथवा अचल मापदण्ड और गैर-वित्तीय अथवा परिवर्तनीय मापदण्ड, दोनों का अनुपात 50 *प्रतिशत* महत्व में है। वित्तीय मापदण्ड कारोबार, लाभप्रदता और विभिन्न वित्तीय अनुपातों से संबंधित है, जबकि गैर वित्तीय मापदण्ड में परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियायें, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीन पहलों के साथ-साथ सेक्टर विशिष्ट मापदण्ड शामिल हैं। तथापि, एमओयू 2016-17 में ऐसा कोई पृथ्थकरण नहीं किया गया। सीपीएसईज़ एवं प्रशासनिक मंत्रालय के साथ विचा-विमर्श कर आईएमसी प्रत्येक मापदण्ड के लिए लक्ष्य एवं महत्व निर्धारित करता है।

'उत्कृष्ट' एवं 'घटिया' निष्पादन के बीच अंतर करने के नजरिए से, प्रत्येक मापदण्ड का पांच बिन्दु पैमाने पर मूल्यांकन किया जाता है अर्थात्, 'उत्कृष्ट' के लिए पांच फिर एक-एक घटाते हुए 'बहुत अच्छा', 'अच्छा', 'ठीक' और 'घटिया'। सीपीएसईज़ का वास्तविक निष्पादन प्रत्येक मापदण्ड हेतु अस्थाई स्कोर से और अलग-अलग पैमानों के दिए गए स्कोर को मिलाकर समेकित स्कोर की गणना से परिलक्षित होता है।

5.4 एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

एमओयू लक्ष्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में निहित प्रक्रिया निम्नलिखित है:

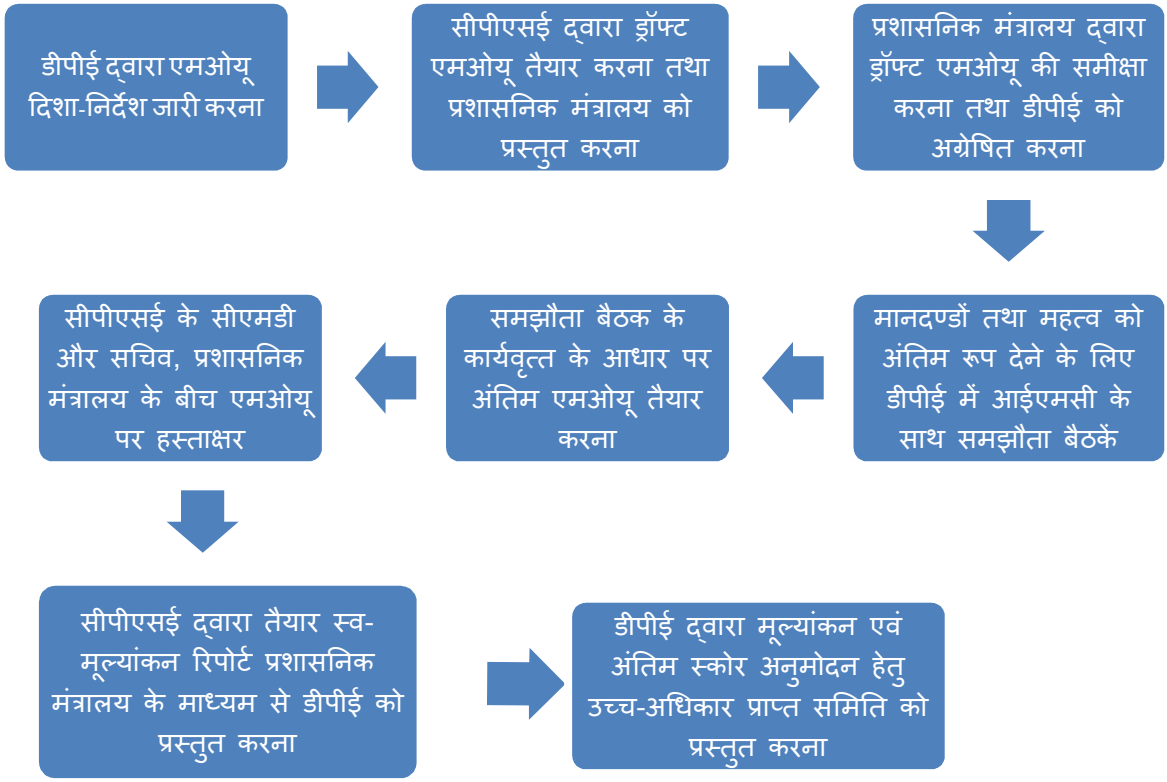

5.5 विश्लेषण का क्षेत्र

इस विश्लेषण में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए 17 'नवरत्न' सीपीएसईज़ के एमओयू शामिल हैं। जबकि लेखापरीक्षा में वर्ष 2015-16 के लिए एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई थी, परन्तु वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू के मूल्यांकन की जांच नहीं की गई थी क्योंकि यह पूर्ण नहीं हुआ था (सितम्बर 2017)। विश्लेषण हेतु चयनित 17 'नवरत्न' कम्पनियों का विवरण तथा वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए उनकी एमओयू रेटिंग **परिशिष्ट-XIV** में दी गई है:

5.6 विश्लेषण का उद्देश्य

विश्लेषण का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

(i) एमओयू, को डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्तिम रूप दिया गया था और लक्ष्य व्यावहारिक एवं सीपीएसईज़ की वार्षिक योजना के अनुसार थे;

(ii) सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत सूचना/डाटा के सत्यापन हेतु डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालयों में प्रभावी तंत्र था;

(iii) सीपीएसईज़ को सरकार से एमओयू में सहमति के अनुसार प्रतिबद्धता/सहायता मिली;

(iv) सीपीएसईज़ द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई को समय पर आवधिक विवरणियाँ/ रिपोर्टें प्रस्तुत की गई; और

(v) उपलब्धियाँ एमओयू लक्ष्यों के अनुरूप थीं।

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 17 'नवरत्न' सीपीएसईज़ज़ द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू तथा वर्ष 2015-16 के लिए उनकी निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (पीईआर) की जांच की। सीपीएसईज़ के उत्तर, जहां प्राप्त हुए, को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

5.7.1 सुलभ एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण

एमओयू दिशा-निर्देश 2015-16 तथा 2016-17 में प्रावधान किया गया कि लक्ष्य यथार्थवादी फिर भी उन्नति उन्मुख तथा प्रस्तावित वार्षिक योजना, बजट, सीपीएसईज़ की कॉरपोरेट योजना तथा मंत्रालय/विभाग के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज के अनुरूप होने चाहिए। लक्ष्य दिए गए तथा प्रत्याशित परिस्थितियों के तहत अधिकतम प्राप्य होने चाहिए तथा संबंधित वित्तीय मानदण्ड के मूल लक्ष्य पिछले पांच वर्षों की वास्तविक प्राप्ति पर आधारित परिनियोजन के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में कवर किए गए 17 'नवरत्न' सीपीएसईज़ में से आठ में एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। देखी गई सीपीएसईज़-वार आपत्तियों की चर्चा नीचे की गई है:

5.7.1.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफसी हेतु एमओयू लक्ष्यों[55] को नीचे वर्णित अनुसार कुछ मापदण्डों के संबंध में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्ति से कम पर निर्धारित किया गया:

मापदण्ड	लक्ष्य/वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17
संसाधन जुटाना (₹ करोड़)	लक्ष्य	44000	44400	कोई मापदण्ड नहीं (एनएपी)
	वास्तविक	60276	63974	
इन्टेग्रेटिड पावर डेवलपमेंट सिस्टम को छोड़कर संस्वीकृतियां (₹ करोड़)	लक्ष्य	55000	55000	55000
	वास्तविक	60784	65042	प्रतीक्षित
परिचालन से राजस्व (₹ करोड़)	लक्ष्य	एनएपी	एनएपी	26000
	वास्तविक	24862	27474	26716
परिचालन लाभ (₹ करोड़)	लक्ष्य	एनएपी	एनएपी	8130
	वास्तविक	8333	8969	प्रतीक्षित
कर पश्चात लाभ (पीएटी/निवल सम्पत्ति/*प्रतिशतता*)	लक्ष्य	14.69	16.47	14.50
	वास्तविक	18.50	17.09	प्रतीक्षित
कर्मचारियों की संख्या/पीएटी (₹ करोड़)	लक्ष्य	8.47	11.32	एनएपी
	वास्तविक	13.36	13.59	

पीएफसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि मौजूदा विद्युत क्षेत्र परिदृश्य के आधार पर आईएमसी द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा निम्नतर लक्ष्यों के कारणों पर आईएमसी बैठको में चर्चा की गई थी तथा इन्हें कार्यवृत्त में दर्ज किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि सभी लक्ष्यों/मापदण्डों को उनके ड्राफ्ट एमओयू में पीएफसी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह तर्क कि लक्ष्यों को मौजूदा विद्युत बाजार परिदृश्य के आधार पर निर्धारित किया गया, औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि वास्तविक प्राप्ति निरन्तर पिछले वर्षों के निष्पादन से अधिक थी।

[55] *सभी लक्ष्य संदर्भ 'उत्कृष्ट' लक्ष्य के लिए है।*

5.7.1.2 निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए आरईसी से संबंधित मापदण्डों के मामले में, लक्ष्यों को पिछले वर्षों में इसकी वास्तविक प्राप्ति की तुलना में कम पर निर्धारित किया गया।

मापदंड	लक्ष्य/वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17
परिचालनों से राजस्व (₹ करोड़)	लक्ष्य	कोई मापदण्ड नहीं (एनएपी)		21500
	वास्तविक	20230	23638	23351
संस्वीकृत ऋण (₹ करोड़)	लक्ष्य	एनएपी		56000
	वास्तविक	61421	65471	प्रतीक्षित
परिचालन से राजस्व के *प्रतिशत* के रूप में परिचालन लाभ	लक्ष्य	एनएपी		26
	वास्तविक	35.93	33.53	प्रतीक्षित
उधारी/निवल सम्पत्ति (%)	लक्ष्य	एनएपी		460
	वास्तविक	528	485	प्रतीक्षित
पीएटी/निवल सम्पत्ति (%)	लक्ष्य	14.8	16.83	17
	वास्तविक	21.16	19.66	प्रतीक्षित
पीएटी प्रति कर्मचारी (₹ लाख)	लक्ष्य	480	628	एनएपी
	वास्तविक	864	932	एनए
एनपीए/ऋण संपत्तियाँ (सकल) (%)	लक्ष्य	3.9	3	एनएपी
	वास्तविक	0.74	2.11	एनए
ब्याज दर प्रसार (दर)	लक्ष्य	2.6	2.69	एनएपी
	वास्तविक	3.68	3.4	एनए
संस्वीकृतियां (₹ करोड़)	लक्ष्य	50000	56100	एनएपी
	वास्तविक	61421	65471	एनए
संसाधन संघटन (₹ करोड़)	लक्ष्य	26000	35000	एनएपी
	वास्तविक	41190	52027	एनए

आरईसी ने बताया (अक्टूबर 2017) कि डीपीई को प्रेषित किये जाने से पहले कमतर लक्ष्यों का औचित्य एमओपी को स्पष्ट किया गया था और आईएमसी में पुन: विचार-विमर्श किया गया था। यह भी बताया गया कि सेक्टर विशिष्ट मापदंडों को पूर्व लक्ष्यों के साथ सीधे तौर पर सहसंबंध नही किया जा सकता क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं के आधार पर वर्षानुवर्ष भिन्न हो सकते है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय बीतने के साथ लगातार निष्पादन में सुधार हुआ है, जो दर्शाता है कि कम्पनी द्वारा लक्ष्यों को कमतर तय किया गया था।

5.7.1.3 पीजीसीआईएल ने कुछ मापदंडो के लिए पूर्व वर्षों में इसकी वास्तविक उपलब्धियों की तुलना में कमतर लक्ष्य निर्धारित किए जिन्हें नीचे तालिकाबद्ध किया गया है।

मापदंड	लक्ष्य/वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17
पीएटी/निवल-सम्पत्ति (%)	लक्ष्य	मापदंड नहीं (एनएपी)	12.33	13.80
	वास्तविक	13.09	14.15	प्रतीक्षित
पीजीसीआईएल के कारण प्रति लाईन ट्रिपिंग की संख्या	लक्ष्य	1.50	1.50	एनएपी
	वास्तविक	0.53	0.66	एनए
परियोजना प्रबंधन में पीजीसीआईएल का प्रमाणीकरण	लक्ष्य	33	50	एनएपी
	वास्तविक	83	132	एनए

पीजीसीआईएल ने बताया (अक्टूबर 2017) कि पीएटी/निवल-सम्पत्ति पर मापदंड 2015-16 से पहले उपलब्ध नहीं थे। संशोधित टैरिफ विनियम (2014-19) और उपलब्ध अनुमान पर विचार करते हुए 2015-16 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2014-15 के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों उपलब्ध नहीं थे। प्रति लाईन ट्रिपिंग अप्रत्याशित थी और इसमें आगे मापदंडों में सुधार की संभावना नहीं थी और इसलिए उसे 2016-17 के लिए एमओयू से हटा दिया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है। लक्ष्य पिछले पाँच वर्षों के पूर्व निष्पादन आधार पर प्रस्तावित किये जाने थे और पूर्ववर्ती वर्ष के तत्काल निष्पादन के आधार पर तय नहीं किए जाने थे। यह भी देखा गया कि पूर्व वर्षों में उपरोक्त मापदंडों का वास्तविक निष्पादन 2015-16 और 2016-17 में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अधिक था। पीजीसीआईएल ने 'पीजीसीआईएल कर्मचारियों के प्रमाणीकरण' के लिए एमओयू लक्ष्यों पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

5.7.1.4 ईबीआईटीडीए/निवल ब्लॉक के संबंध में 2015-16 के लिए एचएएल के एमओयू लक्ष्य पिछले पाँच वर्षों में वास्तविक उपलब्धियों से कम पर निर्धारित किया गया था।

एचएएल से उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2017)।

5.7.1.5 'पीएटी/निवल-संपत्ति' और 'इबीआईटी/औसत नियोजित पूंजी' के संबंध में एमओयू 2015-16 में नालको के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्व वर्ष में वास्तविक उपलब्धियों से कम थे।

नालको ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एमओयू लक्ष्य से बेहतर निष्पादन परिचालन सुधारों के कारण प्राप्त किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है। एमओयू दिशा निर्देश यथार्थवादी और वृद्धि अभिप्रेत रीति पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अधिदेश करते है, जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया।

5.7.1.6 एमओयू 2015-16 में 'ईबीआईटी/औसत नियोजित पूंजी' और 'वर्तमान अनुपात' के संबंध और एमओयू 2016-17 में 'निवल संपत्ति के लिए लाभांश' पर में एनएलसी के लक्ष्य पिछले वर्ष में वास्तविक उपलब्धि से कम पर निर्धारित थे। 'फ्लाई ऐश के उपयोग' के लिए लक्ष्य 70 *प्रतिशत* पर निर्धारित था, हॉलाकि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसके लिए 100 *प्रतिशत* उपयोग निर्धारित किया था।

एनएलसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि पूर्व वर्ष में उपलब्धियों के साथ लक्ष्यों की हमेशा तुलना नहीं की जा सकती। एमओयू ड्राफ्ट में फ्लाई ऐश उपयोग पर मापदंड को उपयोग शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में स्थाई समिति/आईएमसी ने इसके लिए प्रस्तावित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के वास्तविक प्राप्ति पर आधारित अनुमानों के आधार पर संबंधित मापदंड के मूल लक्ष्य को निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा, 100 *प्रतिशत* फ्लाई ऐश उपयोग को अधिदेशित करने वाले दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया गया था।

5.7.1.7 एनएलसी ने एमओयू 2015-16 के भाग के रूप में 'लागतों और उत्पादन दक्षता' पर अनिवार्य मापदंडो को शामिल नहीं किया था। उसी प्रकार, दिशानिर्देशों में निर्धारित 'लाभ प्रदता पर मापदंड का महत्व दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमाओं से अधिक था।

एनएलसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अधिक महत्वपूर्ण और संगत मापदंडो पर विचार करने का निर्णय लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनिवार्य मापदंडो को शामिल न करना और मानदंडो को अतिरिक्त महत्व एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।

5.7.1.8 एनएलसी ने 'आरएंडडी योजना तत्वों' और 'प्रतिपादनाधीन परियोजनाओं' को एमओयू 2016-17 में पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) के भाग के रूप में बनाया यद्दपि इसे एमओयू के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएपीईएक्स के तहत शामिल नहीं किया गया था,

चुकि एमओयू 2016-17 का मूल्यांकन पूर्ण नहीं किया गया था (सितम्बर 2017), इसलिए समग्र रेटिंग पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका।

एनएलसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि कम्पनी के कुल सीएपीईएक्स के अनुसार अनुसंधान परियोजनाओं पर न्यूनतम व्यय हुआ था और भूगर्भीय जाँच पर होने वाले व्यय में नई खनन परियोजनाओं के लिए लिग्नाईट और संबंधित क्रियाकलापों का अन्वषेण करना शामिल है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सीएपीईएक्स के अंतर्गत उपरोक्त दो मापदंडो का समावेश एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

5.7.1.9 एससीआई ने एमओयू 2015-16 में 'ब्याज और अन्य आय' को छोड़कर कुल बिक्री कारोबार पर मापदंड के लिए 14 के महत्व को सौंपा और फिर उनको तीन खंडों में वितरित किया गया। 'बल्क कैरियर और टैंकर्स खंडो' (कारोबार ₹3256 करोड़) के लिए 'अति उत्कृष्ठ' की रेटिंग के लिए 7 का महत्व नियत किया था, 'अपतटीय' खंड (कारोबार ₹286 करोड़) के लिए 4 का महत्व नियत किया था और 'लाईनर' खण्ड (कारोबार ₹1079 करोड़) के लिए 3 का महत्व नियत किया था। इस प्रकार खंडों के लिए नियत किये गये महत्व उनके राजस्व के अंशदान के प्रति असंगत थे।

एससीआई ने बताया (सितम्बर 2017) कि आगामी वर्ष में खंड की संभावनाओं पर आधारित महत्वों की सिफारिश की गई थी और उसे आईएमसी द्वारा स्वीकार किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि विभिन्न खंडो के लिए एमओयू में प्रस्तावित लक्ष्यों के महत्व को समान रूप से आंवटित नहीं किया गया था। खंडो की राजस्व अर्जन क्षमता की संभावनाए उपलब्धियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में प्रतिबिंबित हुई थी।

5.7.2 एमओयू के तहत निष्पादन और सीपीएसईज़ द्वारा स्व-निर्धारण

5.7.2.1 पीईआर और आईएमसी बैठक में मापदंड मूल्य में अनिरन्तरता

'निविदा आधार पर कार्य आदेशों के प्रति नामांकन आधार पर नये परामर्श कार्य आदेशों के अनुपात' मापदंड के लिए एनबीसीसी के लक्ष्य एमओयू-2015-16 70:30 के रूप में निर्धारित किये गये थे। 2015-16 के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीईआर) (नवम्बर 2016) के अनुसार इस मापदंड के प्रति उपलब्धि 75:25 थी ('बहुत अच्छी' रेटिंग)। दूसरी ओर, एमओयू 2016-17 के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते समय, एनबीसीसी ने आईएमसी को सूचित किया (जून 2016) कि 2015-16 के इस लक्ष्य के

प्रति उपलब्धि लगभग 90:10 थी जिसके कारण 2016-17 के लिए 90:10 के आसान लक्ष्य तय किया गया था।

एनबीसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधारित पर थी, आईएमसी बैठक के दौरान, यह सूचित किया गया कि अनुपात 90:10 था (लगभग) और यह विवरण किसी एमओयू मापदंड के संबंध में विशिष्ट विवरण नहीं माना जा सका लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त व्यवसायिक आदेशों को प्रवृति पर आधारित एक सामान्य विवरण था। साथ ही, वर्ष 2015-16 के लिए 75:25 के अनुपात की उपलब्धि को पिछले कुछ वर्षों में एनबीसीसी की मानक उपलब्धि के रूप में माना नहीं जा सकता है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि एनबीसीसी ने पीईआर 2015-16 में 75:25 अनुपात दर्ज किया था, जबकि 2016-17 के लिए एमओयू लक्ष्य को अंतिम रूप देने के लिए आईएमसी बैठक में 90:10 के रूप में इसे सूचित किया गया था।

5.7.2.2 उपलब्धि का अनुचित मूल्यांकन

लेखापरीक्षा ने चयनित सीपीएसईज़ की उपलब्धि के मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित देखा:

(i) एमओयू 2015-16 के प्रति उपलब्धि का मूल्यांकन करते समय, बीपीसीएल ने व्यापार की गणना करने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते समय मानी गई उत्पाद दरों का उपयोग किया। डीपीई ने उत्पाद कीमत में भिन्नता के मामले में मूल्यांकन के समय लक्ष्यों को समायोजित करने के लिए अनुदेश (नवम्बर 2016) दिये थे। अत: टर्नओवर (लक्ष्य और उपलब्धियां) वास्तविक दरों पर आधारित होना चाहिए था जो नहीं किया गया। बेहतर निष्पादन दर्शाया गया।

बीपीसीएल जिससे सहमत हुआ (अक्टूबर 2017) कि हस्ताक्षरित एमओयू निर्दिष्ट करता था कि बिक्री मूल्यों में किसी भी भिन्नता के लिए समायोजन अनुमति दी जाएगी।

तथापि, वास्तविक कीमतों की तुलना में एमओयू में प्रस्तावित कीमतों में कोई समायोजन नहीं किया गया था।

(ii) एससीआई ने जहाजों हेतु के आदेश देने की वास्तविक तिथि पर विचार करने के बजाय उस के लिए बोर्ड का केवल अनुमोदन प्राप्त करने के द्वारा 'कोचिन शीपयार्ड लिमिटेड से अपतटीय जहाजों के आदेशों' के संबंध में पीईआर 2015-16 में 'उत्कृष्ट' रेटिंग का दावा किया।

एससीआई ने बताया (अक्टूबर 2017) कि अगस्त 2015 में समाप्त वार्ताओं के समापन पर और 12.08.2015 को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने अर्थात 30.11.2015 की 'उत्कृष्ट' लक्ष्य तिथि से काफी पहले इस 'उत्कृष्ट' रेटिंग का दावा किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लक्ष्य तिथि के पहले जहाजों का आदेश नहीं दिया गया था और मापदंड जहाजों के आदेश देने हेतु था।

(iii) एमओयू दिशा निर्देशों 2016-17 के अनुसार, सीपीएसईज़ जिन्हें 'उत्कृष्ट' रेटिंग नहीं दी गई थी उन्हें कुछ अतिरिक्त शर्तों का पालन करना था, जिसमें असफल रहने पर उनकी रेटिंग कंपोजिट स्कोर से 5 स्कोर कम की जानी थी। यहाँ एक शर्त थी कि परिचालनों से राजस्व के 0.1 *प्रतिशत* अनुपात की राशि/अधिक/लाभ/हानि का विवरण (अधिशेष/घाटा) परिसंपत्तियों/देयताओं के किसी निधियों का दुरूपयोग इंगित करने वाले सीएंडएजी के द्वारा वार्षिक लेखाओं पर कोई प्रतिकूल आपत्तियाँ नहीं होनी चाहिए। एससीआई के वार्षिक लेखाओं 2016-17 वर्ष में ₹6.05 करोड़ द्वारा 'प्राप्य लाभ और व्यापार के अधिककथन' पर सीएजी टिप्पणी शामिल है। इस कथन का प्रभाव 0.176 *प्रतिशत* परिचालन से राजस्व पर हुआ (₹3447 करोड़)। एससीआई[56] ने, तथापि, पीईआर 2016-17 में कंपोजिट स्कोर को कम नहीं किया था।

एससीआई ने बताया (अक्टूबर 2017) कि अतिरिक्त योग्यता मापदंडो के साथ अननुपालन के कारण अंको में कमी स्थाई समिति/आईएमसी के विवेक पर की जाएगी।

तथापि, तथ्य, यह रहता है कि एससीआई ने अतिरिक्त योजना मापदंड पूरे नहीं किये और पीईआर 2016-17 में इसे कंपोजिट स्कोर के तदनुसार मूल्यांकित करना चाहिए था।

5.7.2.3 अपूर्ण परिभाषित मापदंड

एनबीसीसी के एमओयू 2015-16 ने 6 वर्ष के दौरान मापदंड 'नये आदेशों' के निर्धारण के लिए आधार निर्दिष्ट नहीं किये। एनबीसीसी ने एमओयू 2015-16 के लिए पीईआर में, 2015-16 के दौरान प्राप्त नये आदेशों के रूप में 61 परियोजनाओं की सूची पर विचार किया। तथापि, इन 61 परियोजनाओं में से 20 के लिए एमओयू 2014-15 के दौरान हस्ताक्षरित किये थे। 20 परियोजनाओं को 2015-16 में प्राप्त नये आदेशों के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही एमओयू 2015-16 के 'वर्ष के दौरान नये आदेश' इस प्रकार मापदंड में यह निर्दिष्ट नहीं था कि एनबीसीसी के रीयल एस्टेट अभिग्रहण/विकास को मापदंड के प्रति उपलब्धियों को लिया जाना चाहिए। एनबीसीसी ने रीयल एस्टेट परियोजनाओं के

---

[56] *एससीआई ने 2012-13 से 2015-16 तक के लिए 'बहुत अच्छा' का दर्जा दिया था।*

संबंध में ₹426.19 करोड़ मूल्य के कार्यों को शामिल किया क्योंकि कार्य आदेश 2015-16 के दौरान प्राप्त कार्यों को शामिल करता है। रीयल एस्टेट कार्यों, पर एनबीसीसी के अपने कार्य होते हुए, 2015-16 के दौरान प्राप्त गये नये आदेशों के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

एनबीसीसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि किसी परियोजना को प्राप्त रूप में लेने के लिए, कई मापदंडों जैसे पक्षकार द्वारा भूमि की उपलब्धता, अवधारणा योजना/अनुमानों का अनुमोदन, वैधानिक स्वीकृति आदि, पर विचार किया जाना था और रीयल एस्टेट कार्यों को निवेश/आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। यह भी बताया गया कि रीयल एस्टेट परियोजनाएं कम्पनी के कारोबार लाभ और निवल संपत्ति के प्रति भी सहयोग देती है, और इसलिए, इन्हें इनकी अपनी परियोजना नही माना जा सकता और जायज़ तौर पर 'नये प्राप्त कार्य आदेशों' के रूप में विचार किया गया था।

उत्तर तर्कयुक्त नहीं है। इस मापदंड को अस्पष्ट परिभाषित करने के परिणामस्वरूप निष्पादन का हिसाब निर्धारित अवधि से परे और अपने कार्य को नये कार्य आदेश प्राप्त करता दिखाया गया है।

5.7.3 राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बैंचमार्किंग

एमओयू दिशा निर्देश 2015-16 तथा 2016-17 के अनुसार, सीपीएसईज़ को जैसे भी लागू हो वित्तीय/अवित्तीय मापदण्डों से संबंधित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमार्क पर सूचना देनी थी। आईएमसी के विचारार्थ 2015-16 के लिए एमओयू को भेजते समय लागू बेंचमार्क के साथ सीपीएसईज़ के साथ-साथ सेक्टर के निष्पादन पर मंत्रालय/विभाग द्वारा बैकग्राउंड नोट देना अपेक्षित था। एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 में भी राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम निजी क्षेत्र में सर्वोतम निष्पादक कम्पनी तथा नवरत्न सीपीएसईज़ के एमओयू मापदंड की बैंचमार्किंग के लिए एमओयू दिशानर्देशों 2016-17 में अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) पीजीसीआईएल ने 2016-17 में तुलनात्मक वैश्विक ट्रांसमिशन यूटिलिटिज के साथ बैंचमार्किंग कार्य नहीं की थी।

(ii) बीईएल, एचएएल और एससीआई ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बैंचमार्किंग कार्य नहीं की थी।

(iii) नालको ने वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी कम्पनियों के साथ बैंचमार्किंग कार्य नहीं की थी।

(iv) एनएलसी का बैंचमार्किंग कार्य ने दो मापदंड की तुलना को अर्थात कोल इंडिया लि. के साथ 'प्रतिव्यक्ति शिफ्ट आऊटपुट' और ऑल इंडिया सेन्ट्रल सेक्टर और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 'प्लांट लोड फैक्टर' तक सीमित रखा।

सीपीईएस ने निम्नवत उत्तर दिया:

- पीजीसीआईएल ने बताया (अक्टूबर 2017) कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय यूटीलीटीज के साथ बैंचमार्किंग नहीं की क्योंकि 2016-17 में दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया था।
- एचएएल ने बताया (अक्टूबर 2017) चूंकि यह कई उत्पादों/डिवीजनों के साथ विशिष्ट एयरोस्पेस सेक्टर में परिचालन कर रहा था, इसलिए ग्लोबल कम्पनियों के साथ बैंचमार्किंग कठिन थी।
- एससीआई ने बताया (सितम्बर 2017) कि केवल विशिष्ट खंडो/मार्गों में विशेषज्ञता अन्य शिपिंग कम्पनियों के साथ तुलना व्यवहार्य नहीं थी।
- एनएलसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि खनन परिचालन के अनोखेपन को देखते हुए किसी भी खनन उद्योग से तुलना करना अनुचित था।
- बीईएल और नालको ने कोई उत्तर नहीं दिया।

उत्तर पुष्टि करते है कि सीपीएसईज़ ने एमओयू दिशानिर्देशों का पालन नही किया और जिस उद्देश्य के लिए बैंचमार्क निर्धारित किये गये थे उस पर अमल नहीं किया गया था। हालांकि, कुछ सीपीएसईज़ के मामलों में (पीजीसीआईएल, एचएएल, एससीआई आदि), बाजार में विशिष्ट स्थिति के कारण राष्ट्रीय स्तर तुलना व्यवहार्य नहीं थी, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय तुलना नहीं की जा सकी। पीजीसीआईएल के उत्तर कि इस संबंध में दिशानिर्देश 2016-17 में संसोधित किए गए थे, के संबंध में देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करने वाले निजी क्षेत्र के खिलाडी के साथ तुलना में संशोधन अपेक्षित है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ तुलना एमओयू 2015-16 से 2016-17 के दिशानिर्देश के अनुसार अपेक्षित थी।

5.7.4 प्रसासनिक मंत्रालय से प्रतिबद्धता

एमओयू दिशानिर्देश 2015-16 नियत करते है कि स्वतंत्र निर्देशकों के महत्व पर विचार करते हुए, सीपीएसईज़ के बोर्ड में गैर-सरकारी पद को भरने पर सामायिक कार्यवाही के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से संबंधित विशिष्ट प्रतिबद्धता सीपीएसईज़ के एमओयू में शामिल किए जाएगें, जहाँ भी लागू हो। एमओयू दिशा निर्देश 2016-17 उत्कृष्ठ रेटिंग के लिए अतिरिक्त योग्यता मापदंड का प्रावधान करते है जिसके दवारा

सीपीएसईज़ से लिस्टिंग समझौता के प्रावधानों के अनुपालन के पालन और कम्पनी अधिनियम, 2013 जो सीपीएसईज़ की परिधि के भीतर ही सीमा तक थे और वित्तीय आशय होने के कारण डीपीई दिशानिर्देशो के साथ अनुपालन के लिए पूछा गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतांए) नियम 2015 और सीपीएसईज़ 2016 के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा निर्देश, 2010 के अनुसार सीपीएसईज़ के निदेशक बोर्ड में 50 *प्रतिशत* स्वतंत्र निर्देशक मौजूद होने चाहिए। इस संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) और 149(1) प्रत्येक लिस्टिड सार्वजनिक कम्पनी में स्वतंत्र निर्देशको के रूप में कम से कम एक तिहाई कुल निर्देशको की संख्या और क्रमश: एक महिला निदेशक का होना अपेक्षित है।

इस संबंध में यह देखा गया कि:

- 2015-16 और 2016-17 के दौरान पीएफसी, पीजीसीआईएल, बीपीसीएल और कॉनकोर के निदेशक बोर्ड में स्वंतन्त्र निर्देशकों की अपेक्षित संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था जबकि एचपीसीएल और ईआईएल के पास 2015-16 के दौरान इसके बोर्ड में स्वतंत्र डायरेक्टरों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।
- 2012-13 से पीएफसी बोर्ड में कोई महिला निर्देशक नहीं है जबकि वैधानिक रूप कम से कम एक अपेक्षित है। बीपीसीएल बोर्ड के पास 2016-17 के दौरान कोई महिला निर्देशक नहीं थी।
- बीईएल में स्वतंत्र निर्देशको की अपेक्षित संख्या भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से विशिष्ट प्रतिबद्धता को एमओयू 2015-16 शामिल नहीं किया गया था।

आरईसी, बीईएल, पीएफसी, पीजीसीआईएल और ईआईएल ने बताया (सितम्बर/अक्टूबर 2017) कि वे समय-समय पर प्रशासनिक मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाते रहे थे। एचपीसीएल ने बताया कि (अक्टूबर 2017) मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति की गई थी और इसके प्रति मंत्रालय से सामयिक कार्यवाही भी आवश्यकता को एमओयू में शामिल किया गया था।

5.7.5 एनएसएमई पर दिशानिर्देशों का अननुपालन

एमओयू दिशानिर्देश 2015-16 के अनुसार, सीपीएसईज़ को सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) आदेश दिनाँक 25.04.2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन करना अपेक्षित था। इसके अनुपालन न करने से एक अंक तक की सज़ा होगी। उपरोक्त आदेश में यह भी अपेक्षित हैं, की 2015-16 के बाद से कम से कम 20

प्रतिशत सीपीएसईज़ आश्यकताएं एमएसएमई से खरीदी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफसी, पीजीसीआईएल और एमटीएनएल ने 2015-16 के दौरान उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था।

पीएफसी ने बताया (अगस्त 2017) कि इसके लिए 2015-16 के इसके कंपोजिट स्कोर से एक अंक कम किया गया था। पीजीसीआईएल ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एमएसएमई द्वारा प्रस्तावित उत्पाद और सेवाओं की श्रेणी में इसकी अधिकांश खरीद नहीं आती है। एमटीएनएल ने बताया (नवम्बर 2017) कि ये दिशानिर्देश प्रतिस्पर्धा माहौल और तेजी से बदलते दूरसंचार प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इसके हित के विरूद्ध थे।

तथापि, न तो प्राप्त एमएसएमई आदेशों की प्रयोज्यता से छूट थी और न ही एमओयू में शामिल लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं थी।

5.7.6 एमओयू प्रस्तुतीकरण और हस्ताक्षर

5.7.6.1 डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय को एमओयू का प्रस्तुतीकरण

- एमओयू दिशानिर्देश 2015-16 में डीपीई को एमओयू की मूल प्रति का प्रस्तुतीकरण 19.12.2014 तक अपेक्षित है। तथापि, यह देखा गया कि एचएएल ने एमओयू 2015-16 की मूल प्रति डीपीई को 38 दिनों के विलंब के बाद 27.01.2015, को भेजी।

- एमओयू दिशा निर्देश 2016-17 अपने बोर्ड से यथोचित अनुमोदन के बाद नियत तिथि (15.05.2016) तक संबंधित मंत्रालय को अपना ड्राफ्ट एमओयू प्रस्तुत करना के सीपीएसईज़ से अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया कि एमटीएनएल ने अपने बोर्ड से बिना अनुमोदन के दूरसंचार विभाग को ड्राफ्ट एमओयू 2016-17 प्रस्तुत किया था।

जबकि एचएएल ने कोई टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया वहीं एमटीएनएल ने बताया (अक्टूबर 2017) कि सीएमडी के यथोचित अनुमोदन पश्चात 15.01.2016 को 2015-16 के लिए ड्राफ्ट एमओयू की प्रति प्रस्तुत की गई थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि डीपीई दिशानिर्देश बोर्ड के अनुमोदन पश्चात ड्राफ्ट एमओयू का प्रस्तुतीकरण अधिदेशित करते है।

5.7.6.2 एमओयू हस्ताक्षर करना

एमओयू दिशा निर्देश 2016-17 के अनुसार सभी दस्तावेज/अनुबंध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन के बाद डीपीई को 15.05.2016 तक भेजे जाने चाहिए, आगे प्रावधान प्रदान किया गया कि सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के बीच एमओयू और सहायक और सर्वोच्च/होल्डिंग के मध्य सीपीएसईज़ 30.06.2016 अथवा आईएमसी बैठक के कार्यवृत के जारी होन से 15 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो। तक हस्ताक्षरित हो जाने चाहिए लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओयू हस्ताक्षर करने में देरी हुई थी:

- पीएफसी ने निर्धारित समयसीमा से 32 दिनों की देरी के पश्चात 01.09.2016 को एमओयू 2016-17 पर हस्तक्षर किये।
- आरईसी ने निर्धारित समय सीमा से 26 दिनों की देरी के पश्चात 23.08.2016 को एमओयू 2016-17 पर हस्ताक्षर किये और आरईसी और इसकी सहायक आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस लिमिटेड ने एमओयू 09.11.2016 पर हस्ताक्षर किये गये थे।
- एनएमडीसी के मामले में, एमओयू 2016-17 के लिए आईएमसी बैठक का आयोजन 10.06.2016 एमओयू को हुआ था और कार्यवृत 20.06.2016 को जारी हुआ जबकि एमओयू 06.10.2016 तक हस्ताक्षरित नहीं था।

पीएफसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि डीपीई द्वारा एमओयू के प्रमाणीकरण की तिथि से 15 दिनों की समयसीमा को माना जाना था और उन्होंने इसके प्रमाणीकरण (23.08.2016) की तिथि से 15 दिनों के भीतर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आरईसी ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एमओपी अथवा सीटीपीसीएल के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने में कोई देरी नहीं हुई थी क्योंकि डीपीई ने क्रमश, 28.07.2016 और 08.11.2016 को एमओयू की प्रमाणीकृत प्रतियों को जारी किया था। एनएमडीसी ने अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी थीं।

उत्तर स्वीकार नहीं हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएमसी बैठक के कार्यवृत के जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक अथवा 30.06.2017 जो भी बाद में थी की समयसीमा मानी जानी थी। आईएफसी बैठक के बाद और इसके हस्ताक्षर से पहले डीपीई द्वारा एमओयू के प्रमाणीकरण के लिए अलग से एमओयू दिशा निर्देशों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

5.7.7 सामान्य

डीपीई अपनी संबंधित वेबसाईट पर सीपीएसईज़ के एमओयू डालने को प्रोत्साहित करता है। तथापि, यह देखा गया था कि पीएफसी, एचएएल और एसीआई ने अपनी वेबसाईट पर 2015-16 और 2016-17 दोनों के अपने एमओयू डाला नहीं गया था। उसी प्रकार, आरईसी और एमटीएनएल ने अपनी वेबसाईट पर क्रमश: एमओयू 2015-16 और एमओयू 2016-17 को डाला नहीं था।

पीएफसी और एससीआई ने बताया (सितम्बर 2017) कि व्यापार लक्ष्यों की गोपनीयता के कारण वेबसाइट पर एमओयू डाले नहीं गये थे। पीएफसी, आरईसी, एचएएल और एमटीएनएल ने बताया (सितम्बर/नवम्बर 2017) कि एमओयू की वेब होस्टिंग अनिवार्य नहीं थी।

5.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

2015-16 और 2016-17 के लिए 'नवरत्न कम्पनियो' के 17 एमओयू के विश्लेषण से यह पता चला कि इनमें से सात द्वारा एमओयू में निर्धारित लक्ष्य पिछले वर्षों में इन मानदडों के प्रति वास्तविक उपलब्धि की अपेक्षा निर्धारित लक्ष्य कम होने पर लक्ष्यों की अन्डर-पिचिंग बेहतर रेटिंग प्राप्त करने के लिए सीपीएसईज़ की सहायता करती है। तीन सीपीएसईज़ में मानदडों के अनुचित मूल्यांकन को भी देखा गया। एमओयू दिशानिर्देशों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगियों के संदर्भ में मानदडों की बेंचमार्किंग अधिदेशित की। तथापि, छ: सीपीएससी ने बेंचमार्किंग कवायद नहीं की। यद्यपि उनके बोर्ड में गैर-सरकारी निर्देशकों के पद भरने के लिए एमओयू में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता शामिल करने के लिए और स्वतंत्र और महिला निर्देशकों से संबंधित लिस्टिंग करार और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमओयू दिशा निर्देशों ने सीपीएसईज़ को अधिदेशित किया परन्तु सीपीएसईज़ में स्वतंत्र और महिला निर्देशकों के कुछ पद खाली पडे थे।

लेखापरीक्षा डीपीई, सीपीएसईज़ और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विचार और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें करता है:

- **यह सुनिश्चित किया जाए कि एमओयू को निर्धारित समय में लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए यथावत ध्यान देते हुए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और अन्तिम रूप दिया गया है। जिससे सीपीएसईज़ का बेहतर निष्पादन हो सके।**

- **डीपीई में वैधीकरण प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ किया जाय कि किसी अपूर्ण अथवा गलत सूचना और/या प्रमाणनन की अन्य मंत्रालय और पणधारियों के उचित समन्वय के माध्यम से एमओयू के अन्तिम मूल्यांकन से पहले खोज की जा सकती है।**

डीपीई ने (मार्च 2018) में कहा है कि लक्ष्य के निर्धारण के संबंध में एक नया पैरा एमओयू 2017-18 के दिशानिर्देशों में सम्मिलित कर दिया गया है तथा लेखापरीक्षा द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने डीपीई द्वारा उठाये गये कदमों को मान लिया।